

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- cffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2025-26/
निमित्त:-

1996

दिनांक:- 11/03/26

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में ।

proposal No. FP/RJ/ROAD/34657/2018 (1.872 ha).

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1486 दिनांक 24.02.2026 एवं उप वन संरक्षक, बारां का पत्र क्रमांक 4270 दिनांक 10.03.2026 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की अभिशंषा/टिप्पणी निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन की गई थी। जिसके क्रम में उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 4270 दिनांक 10.03.2026 द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अंडरटैकिंग सहित प्रेषित करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्राप्त हुई है रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	बिन्दुवार शर्तों की पालना रिपोर्ट का विवरण
1	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा करायी जावे।	शर्त सं. 1 की अनुपालना में चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा करा दी जावेगी। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है। उप वन संरक्षक बारां एवं यूजर एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही से यह कार्यालय सहमत है।
2	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में प्रबंध योजना के अनुसार संबंधित उप वन संरक्षक से परामर्श कर वाटर होल्स का निर्माण करायी जावे।	शर्त सं. 2 की अनुपालना में चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में प्रबंध योजना के अनुसार संबंधित उप वन संरक्षक से परामर्श कर वाटर होल्स का निर्माण करा दिया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है। उप वन संरक्षक बारां एवं यूजर एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही से यह कार्यालय सहमत है।

3	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कन्जर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगाये जावे।	शर्त सं. 3 की अनुपालना में चोराखेड़ी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कन्जर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है। उप वन संरक्षक बारां एवं यूजर एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही से यह कार्यालय सहमत है।
4	शाहबाद तलहटी कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कराये जावे।	शर्त सं. 4 की अनुपालना में चोराखेड़ी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा शाहबाद तलहटी कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य करवा दिये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है। उप वन संरक्षक बारां एवं यूजर एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही से यह कार्यालय सहमत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(सोनल जोरिहार)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक

कोटा o/c

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2025-26/ 1997-98

प्रतिलिपि निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक:- 11/03/26

संभागीय मुख्य वन संरक्षक

कोटा

o/c

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2025 -26/ 4270

दिनांक- 10/03/2026

निमित्त:

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में
Proposal no.FP/RJ/ROAD/34657/2018 (1.872 ha)

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 1488
दिनांक 24.02.2026 एवं अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवाड
के पत्र क्रमांक 2218 दिनांक 06.03.2026 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 1488 दिनांक 24.02.2026 द्वारा चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की अभिशंपा/टिप्पणी निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन की गई है। जिसके क्रम में यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 2218 दिनांक 06.03.2026 को विन्दुवार पालना रिपोर्ट अंडरटैकिंग सहित प्रेषित करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।

क. सं.	विन्दुवार शर्तों का विवरण	विन्दुवार शर्तों की पालना रिपोर्ट का विवरण
1	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहवाड तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा करायी जावे।	शर्त सं. 1 की अनुपालना में चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहवाड तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा करा दी जावेगी। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है।
2	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहवाड तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में प्रबंध योजना के अनुसार संबंधित उप वन संरक्षक से परामर्श कर वाटर होल्स का निर्माण कराया जावे।	शर्त सं. 2 की अनुपालना में चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहवाड तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में प्रबंध योजना के अनुसार संबंधित उप वन संरक्षक से परामर्श कर वाटर होल्स का निर्माण करा दिया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है।
3	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहवाड तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगाये जावे।	शर्त सं. 3 की अनुपालना में चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहवाड तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा

		दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है।
4	शाहबाद तलहटी कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कराये जावे।	शर्त सं. 4 की अनुपालना में में चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा शाहबाद तलहटी कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य करवा दिये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है।

(बडे विवेकानंद माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2025 -26/

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज 0 जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज 0 जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

(बडे विवेकानंद माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय अविशापी अगियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, साहवाव

दिनांक - 06-02-2026

क्रमांक 22/8



विभाग संख्या

Construction of Road from Chorakheri to Nayejgaon Via Maheshpur

Proposal No. PPR/R/ROAD/34657/2018 (1,872 Ha.) प्रस्ताव मूला वन संरक्षण एवं मूला कन्दर्पण प्रविष्टिगत वन के पत्र क्रमांक 1486 दिनांक 24/02/2025 के क्रम में एवं उपवन संरक्षण का पत्र क्रमांक 8548 दिनांक 21/02/2025 के क्रम में

प्रस्ताव

कृपया उपरोक्त संशोधित विषयवस्तु प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत खण्ड-2 में Diversion of 1,872 ha. of forest land for Construction of Road from Chorakheri to Nayejgaon Via Maheshpur निर्माण हेतु वन भूमि प्रयोजन की स्वीकृति हेतु विस्तृत सूचना प्रारम्भ शिफ्ट निम्नप्रकार है।

शर्त संख्या	विस्तृत शर्तों का विवरण	प्रास्ताविक शिफ्ट का विवरण
	I. General Condition	
1	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु साहवाव तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपूर्विक परिचालन संधि नियमानुसार 2% RPACS में जमा कराई जावे।	शर्त सं. 1 की अनुपालन में घोड़ाखेड़ी से नयगाव तक महानुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यापूर्ति हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सूत्र एजेंसी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु साहवाव तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपूर्विक परिचालन संधि नियमानुसार 2% RPACS जमा कर दी जायेगी।
2	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु साहवाव तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में प्रयत्न योजना के अनुसार सर्वेक्षित उप वन संरक्षण से परामर्श कर वाटर होल्स का निर्माण कराया जावे।	शर्त सं. 2 की अनुपालन में घोड़ाखेड़ी से नयगाव तक महानुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यापूर्ति हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त उप वन संरक्षण से परामर्श कर सूत्र एजेंसी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु साहवाव तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में वाटर होल्स बना दिये जायेंगे।
3	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु साहवाव तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निरिक्त अन्तःखण्ड पर साईन बोर्ड लगाये जावे।	शर्त सं. 3 की अनुपालन में घोड़ाखेड़ी से नयगाव तक महानुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यापूर्ति हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सूत्र एजेंसी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु साहवाव तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निरिक्त अन्तःखण्ड पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे।
4	साहवाव तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मूला एवं जल संरक्षण कार्य कराये जावे।	शर्त सं. 4 की अनुपालन में घोड़ाखेड़ी से नयगाव तक महानुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यापूर्ति हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सूत्र एजेंसी द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा उच्च वन विभाग के परामर्श से परिचालन लागत पर आवश्यकता होने पर व्यापक मूला संरक्षण एवं जल संरक्षण का उपाय करेगी इस योजना चरण की अनुपालन शिफ्ट क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

WOC
10/3
24/26

(बरान्त कुमार गुप्ता)
अविशापी अगियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड साहवाव

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहवाद्

क्रमांक : 22/8

दिनांक : 06-03-2026


अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road from Chorakheri to Nayagaon Via Maheshpur
(FP/RJ/ROAD/34657/2018)

प्रमाणित किया जाता है कि सौद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में चौड़ाखोड़ी से नयागाँव वाया महेशपुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सौद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहवाद् तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS जमा करा दी जावेगी।

CS


(डॉ. विवेकानन्द माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बारी


(वसन्त कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहवाद्

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहवाद्

क्रमांक : 2278


दिनांक : 06-03-2026

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road from Chorakheri to Nayagaon Via Maheshpur
(FP/RJ/ROAD/34657/2018)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त
श. 2 की अनुपालना में चौड़ाखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुर सड़क निर्माण के क्षेत्र
हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त उप वन
संरक्षक से परामर्श कर यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु
शाहवाद् तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में वाटर छाल बना दिये जायेंगे।

CS


(ब. व. क. माणिकराम)
उप वन संरक्षक
घर


(बसन्त कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहवाद्

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक : 22/8

दिनांक : 06-03-2026

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road from Chorakheri to Nayagaon Via Maheshpur
(FP/RJ/ROAD/34657/2018)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में चौड़ाखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कन्जर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे।

CS


(बडे दिवेकरानन्द माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बाराँ


(बसन्त कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

